

राजस्व अपील संख्या 49/2021

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पॉन्डेन्ट
1- दौलाराम पुत्र गुमनाराम 2- विशनाराम पुत्र गुमनाराम 3- कानाराम पुत्र गुमनाराम 4- राजकुमार पुत्र गुमनाराम 5- जैठाराम पुत्र कोजाराम 6- बगताराम पुत्र हेमाराम 7- मांगीलाल पुत्र सोनाराम 8- राधेश्याम पुत्र किरताराम 9- गणपतराम पुत्र किरताराम 10- बगडुराम पुत्र दुडाराम 11- चौखाराम पुत्र प्रहलादराम निवासीगण ग्राम पल्ली तहसील लोहावट जिला जोधपुर		1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां, जिला जोधपुर 2- उपखण्ड अधिकारी ओसियां जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956  
विरुद्ध निर्णय दिनांक 9-9-2020 जो राजस्व प्रकरण संख्या  
76/2020 अनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां बनाम  
रावलराम वगैरा मे उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1- श्री रूघाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
- 2- श्री नवल सिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पॉ० 2 की ओर से ।

राजस्व अपील संख्या 89/2021

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पॉन्डेन्ट
1- ओमप्रकाश पुत्र फोजाराम 2- किशनाराम पुत्र फोजाराम 3- जयनारायण पुत्र पांचाराम निवासीगण भीमसागर, तहसील ओसियां जिला जोधपुर		1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956  
विरुद्ध निर्णय दिनांक 9-9-2020 जो राजस्व प्रकरण संख्या  
76/2020 अनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां बनाम  
रावलराम वगैरा मे उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1- श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
- 2- श्री नवल सिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पॉ० 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 25-7-2022

उक्त दोनो अपीले अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा  
प्रकरण संख्या 76/2020 अनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां बनाम  
रावलराम वगैरा मे पारित किये गये आदेश दिनांक 9-9-2020 के विरुद्ध पृथक पृथक  
अपीलांटगण द्वारा दो अपीले प्रस्तुत की गई होने से उक्त दोनो अपीलो का निर्णय एक



बति • सम्मानीय बाबुच,  
जोधपुर

ही आदेश से किया जा रहा है । दोनो पत्रावलियों में मूल आदेश की प्रति नत्थी की जाये ।

उक्त दोनो अपीलो का संक्षिप्त में तथ्य इसप्रकार है कि प्रत्यर्थी तहसीलदार ओसियां द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट का इस आशय का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी रास्ता अभियान के अन्तर्गत रास्तो की समस्या के निवारणार्थ राजस्व विभाग से सर्वे करवाकर मौके पर जारी रास्तो के राजस्व रेकर्ड में अंकन बाबत प्रस्ताव आमंत्रित किया गया । जिसके क्रम में तहसीलदार ओसियां द्वारा तहसील ओसियां के पटवार मण्डल भीमसागर के राजस्व ग्राम भीमसागर में पल्ली फांटा से जांगू व धोरे वाले कुम्हारो की ढाणियां तक का रास्ते का प्रस्ताव प्रेषित किये, जिनमें खसरा नंबर 250, 252, 253/1, 253/2, 255/1, 255/2, 257, 260/3, 257/1, 260/1, 267, 266, 274, 278, 276, 276/1, 276/6, 268, 268/1, 268/2 में से अलग अलग हिस्सा भूमि में चल रहे कदीमी रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के प्रस्ताव प्रेषित किये गए । जिसमें अपील संख्या 49/2021 के अपीलांटगण के खसरा नंबर 257, 260/3, 276 एवं 278 की भूमि में गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने तथा अपील संख्या 89/2021 के अपीलांटगण के खसरा नंबर 257 एवं 257/1 की भूमि में से गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने के प्रस्ताव प्रेषित किये गये ।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार ओसियां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 76/2020 दर्ज कर अपीलांटगण को नोटिस जारी किये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही सीधे राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 9-9-2020 को पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर उक्त दोनो अपीलें इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । दोनो ही अपीलो में अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 131 व 136 के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायिक आदेश की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि आदेश बिना कोई कारण दिये पारित किया गया है तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को नोटिस जारी, किये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिससे अपीलांटगण को अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांटगण खातेदारो की सहमति के बिना उनकी भूमि को गै.मु.रास्ते में दर्ज नहीं किया जा सकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदारो की सहमति के बिना तथा उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना उनके खेतो के टुकड़े करते हुए रास्ते दर्ज करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय



वति • सम्भागीय बागुल  
बोम्बे

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पृथक से प्राक्धान बनाये हुए हैं तथा यह भी कथन किया कि अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि के किसी पडौसी खातेदारान द्वारा रास्ते बाबत कोई मांग नहीं की गई है फिर भी अपीलाधीन आदेश के द्वारा बिना खातेदारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलांटगण के खातेदारी में से गै.मु.रास्ता दर्ज करने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 278 के बीचो बीच में रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया है जबकि खसरा नंबर 275 एवं 278 के कणा माठ के सहारे रास्ता दिया जा सकता था एवं खसरा नंबर 274 सरकारी भूमि है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय मानस बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि व न्यायसंगत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

अंत में वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 9-9-2020 को निरस्त करने का निवेदन किया।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि रास्तों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर चलाये गये अभियानों में जारी किये गये दिशा निर्देशों जिनमें ऐसे कदीमी रास्ते जो वर्षों से रास्तों के रूप में सार्वजनिक उपयोग में लिये जा रहे हैं परंतु उनका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है उनका सर्वे करवाकर ऐसे रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवाने के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार ओसियां की ओर से पटवार मण्डल भीमसागर के राजस्व ग्राम भीमसागर में पल्ली फांटा से जांगू व धोरे वाले कुम्हारों की ढाणियां तक का रास्ते का प्रस्ताव प्रेषित किये, जिनमें खसरा नंबर 250, 252, 253/1, 253/2, 255/1, 255/2, 257, 260/3, 257/1, 260/1, 267, 266, 274, 278, 276, 276/1, 276/6, 268, 268/1, 268/2 में से अलग अलग हिस्सा भूमि में चल रहे कदीमी रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां ने उनके समक्ष प्रस्तुत हुए प्रस्ताव अनुसार जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 9-9-2020 को पारित किया है, उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट की उक्त अपील का खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित आदेश 9-9-2020 के क्रम में प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस जारी कर तामिली पश्चात उनकी उपस्थिति में नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया



राजस्थानीय वाक्य  
शेषपत्र

रिपोर्ट व मौका नक्शा भी तैयार किया जावे । तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय उक्तानुसार तैयार मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तथा अपीलांत/हितबद्ध पक्षकारो की सुनवाई पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते को बंद नही किया जावे संबंधित तहसीलदार नियमानुसार इसकी सुनिश्चितता करे। उक्त निर्देशो के साथ उक्त दोनो अपीलो का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25-7-2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।



(ओ० पी० बिश्नोई)  
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त  
जोधपुर